

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019 — आषाढ 14, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-3/2019/38-2 . — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 1027/प्र.परि./प्र.अध्या./के.के.मो.यू./2019/9448, दिनांक 12-02-2019 द्वारा के.के.मोदी यूनिवर्सिटी, ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 28 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 55 तक का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (5) एवं धारा 28 (4) के तहत किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव.

के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग का प्रथम परिनियम

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, शासी परिषद, निम्नलिखित परिनियम बनाते हैं—

(एक) संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (1) ये परिनियम, के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग का प्रथम परिनियम कहलायेंगे।
- (2) ये परिनियम, राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(दो) परिभाषाएं

इस परिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है ‘छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005’।
- (2) “आयोग” से अभिप्रेत है “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग” (सीजीपीयूआरसी);
- (3) समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं और अधिनियम एवं नियम में परिभाषित है उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम एवं नियम में उनके लिये समनुदेशित है।
- (4) ‘शैक्षणिक वर्ष’ से अभिप्रेत है लगभग बारह माह की अवधि, जो संबंधित पाठ्यक्रमों की पाठ्य योजना एवं पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु समर्पित हो तथा अध्यादेश में यथा नियत “शर्तों” में विभक्त हो।
- (5) “अध्ययन मण्डल” से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों का अध्ययन मण्डल।

- (6) "दीक्षांत समारोह" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह।
- (7) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण—पत्र या कोई अन्य शैक्षणिक सम्मान या पदवी को प्रदान करने या देने हेतु अग्रसरित अध्ययन का विहित क्षेत्र या पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम तथा/या कोई अन्य संघटक।
- (8) "विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित/विश्वविद्यालय विनिश्चय कर सकेगा/ विश्वविद्यालय का विनिश्चय" से अभिप्रेत है कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा यथा विनिश्चय।
- (9) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के पे—रोल पर कार्यरत कोई व्यक्ति।
- (10) "संकाय" से अभिप्रेत है परिनियम क्रमांक 12 में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय संकाय।
- (11) "नियमित शिक्षा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है विश्वविद्यालय के कक्षाओं में या परिसर में अन्यथा विद्यार्थियों को समसमायिक रूप से शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, अध्यापन, विद्या, शिक्षा तथा संबंधित गतिविधियां परिदान करना।
- (12) "विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का विनियम।
- (13) "नियम" से अभिप्रेत है "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005"
- (14) "पाठ्य योजना एवं पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है तथा इससे सम्मिलित है विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य स्वरूप, अवधि, शिक्षण शास्त्र, पाठ्य विवरण, पात्रता एवं ऐसे अन्य संबंधित विवरण (चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।
- (15) "मुद्रा" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा (सील)।
- (16) "विषय" से अभिप्रेत है पाठ्य योजना एवं पाठ्यक्रम के अधीन यथा विहित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण, शोधकार्य इत्यादि, चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, की आधारभूत इकाईयां।
- (17) शब्द "वह", "उसे", "उसके" में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित है।

(18) "विश्वविद्यालय", "विश्वविद्यालयों" से अभिप्रेत है के.के.मोदी यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) दुर्ग।

(तीन) प्रथम परिनियम का प्रगणित विषय सूची निम्नानुसार है:

विषय सूची

परिनियम	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.	विश्वविद्यालय के उद्देश्य	1
2.	विश्वविद्यालय की मुद्रा (सील) एवं चिन्ह	2
3.	कुलाधिपति की नियुक्ति, पदावधि, शर्तें तथा शक्तियां	3
4.	कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, शर्तें तथा शक्तियां	6
5.	कुलसचिव की नियुक्ति, पदावधि, शर्तें तथा शक्तियां	9
6.	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की नियुक्ति, पदावधि, शर्तें तथा शक्तियां	14
7.	शासी निकाय की शक्तियां एवं कृत्य	18
8.	प्रबंध मंडल की शक्तियां एवं कृत्य	20
9.	विद्या परिषद की शक्तियां एवं कृत्य	24
10.	वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य	29
11.	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी	31
12.	संकाय	36
13.	संकाय का गठन, शक्ति एवं कृत्य	40
14.	संकाय के अधिष्ठाता की शक्तियाँ एवं कृत्य	42
15.	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति	43
16.	गैर-शिक्षकीय स्टाफ के वर्ग	46
17.	शासी निकाय / प्रबंध मंडल / विद्या परिषद की स्थायी समिति	51
18.	मंडल एवं समिति	52

19.	परीक्षा समिति	53
20	अध्ययन मंडल	56
21.	विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान	57
22.	मानद डिग्रियों एवं शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करना	58
23.	विश्वविद्यालय में फेलोशिप, स्कॉलरशिप, मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड करने हेतु धर्मदाय प्रशासन	59
24.	विद्यार्थियों का प्रवेश	60
25.	विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में सीटों की संख्या	61
26.	वार्षिक प्रतिवेदन	62
27.	नियुक्ति की वैधता का अनुमान व विश्वविद्यालय प्राधिकरण व निकायों का संगठन	63
28.	कानून या कार्यवाही का अनुमान और सामान्य कार्यवाही के विरुद्ध हानि से सुरक्षा	64

परिनियम क्र. 01

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित उद्देश्य भी होगा :

- (1) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अन्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, उद्योग, शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के साथ सहयोग करना ।
- (2) एक परिवर्तनकारी, अनुभवात्मक, भविष्य उन्मुख आत्मा वाले विश्वविद्यालय की रचना करना ।
- (3) मानव जीवन की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए ज्ञान का विकास करना ।
- (4) उत्कृष्टता के केंद्र व संस्थाओं की रचना करना जो अत्याधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करे ।
- (5) विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, योग्यताओं कौशल और क्षमताओं के विकास के लिए क्षमताओं की रचना करना ।
- (6) अनेक क्षेत्रों में वैशिक स्तर की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्षमताओं की रचना करना जैसा कि विधि द्वारा अपने सभी संशोधनों में अनुमोदित है ।
- (7) शैक्षिक उपलब्धि के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन और प्रशिक्षण के ढंग विकसित करना जिससे शिक्षा का उच्च स्तर निश्चित हो सके ।
- (8) सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्रबंधन और उद्यमिता विकास के अग्रणी संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना ।
- (9) 100 प्रतिशत रोजगार उन्मुख और राष्ट्र निर्माण व्यवसायियों की रचना करने के लिए उद्योगों के साथ निकट संबंध स्थापित करना ।
- (10) किसी अन्य उद्देश्य का अनुपालन करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर सीजीपीयूआरसी की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदन किया जाये ।

परिनियम क्र. 02

विश्वविद्यालय की मुद्रा (सील) एवं चिन्ह

- (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी तथा मुद्रा (सील) की रूपरेखा, ऐसे अग्रतर परिवर्तन या संशोधन, जैसा कि समय—समय पर आवश्यक हो, के अध्यधीन रहते हुए, सीजीपीयूआरसी का सम्यक् अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय द्वारा यथा विनिश्चित की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय, ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो समय—समय पर आवश्यक समझा जाए, ऐसे ध्वज, समूह गान, अधिचिन्ह, वाहन ध्वज तथा अन्य प्रतीक चिन्ह या आलेखी अभिव्यक्तियां, संक्षेपासार, या इस तरह के अन्य, बनाने एवं उपयोग करने का भी विनिश्चय कर सकेगा तथा ऐसे स्वरूप का नहीं होगा, जो कि राज्य या केन्द्र शासन द्वारा अनुमति प्राप्त न हो।

परिनियम क्र. 03

कुलाधिपति की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 16 का संदर्भ)

- (1) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा ।
- (2) प्रायोजित निकाय, साधारण बहुमत से, कुलाधिपति के नाम को अंतिम रूप देंगे । प्रायोजित निकाय का अध्यक्ष/सचिव, प्रस्तावित कुलाधिपति के नाम, बायोडाटा सहित कुलाध्यक्ष के अनुमोदन हेतु भेजेंगे । अनुमोदन उपरांत, कुलाधिपति, प्रायोजित निकाय द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जायेगा । परंतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तथा इसके कार्यकारी के लिए विश्वविद्यालय, शासन के परामर्श से न्यूनतम एक (01) वर्ष की अवधि किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो, के लिए कुलाधिपति को नियुक्त करेगा ।
- (3) कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 16 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।
- (4) कुलाधिपति, तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे तथा वह, उपरोक्त परिनियम क्रमांक 3 के खण्ड (1) के अधीन दिये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से पुनर्नियुक्त हेतु पात्र होंगे ।

परन्तु यह कि कुलाधिपति, पद के अवसान होते हुये भी, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक वह उस पद में पुनर्नियुक्त नहीं हो जाता अथवा उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर ली जाती ।

- (5) आपातकालीन स्थिति में, जैसे कुलाधिपति की बीमारी या मृत्यु की दशा में, कुलपति, कुलाधिपति के पदधारण करने तक अथवा नये कुलाधिपति की नियुक्ति तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तथापि यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।
- (6) कुलाधिपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम का सद्भावपूर्वक अवलोकन करें।
- (7) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे।
- (8) कुलाधिपति को ऐसे वेतन/पारिश्रमिक, व्यय एवं भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि प्रायोजित निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाए।

अपने विवेक के अनुसार, कुलाधिपति एक प्रो चांसलर (प्रतिकुलाधिपति) की नियुक्ति कर सकता है जो उसकी प्रसन्नता की अवधि में पद पर बना रहेगा।

प्रायोजन निकाय के अनुमोदन से कुलाधिपति के पास उपकुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को विश्वविद्यालय के हित में पद से हटाने की शक्ति होगी।

इस प्रावधान के साथ कि उपकुलाधिपति की सेवा समाप्ति के लिए कुलाधिपति कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा यदि वह किसी शिकायत के आधार पर संतुष्ट है कि उपकुलाधिपति ने विधि या विश्वविद्यालय के परिनियम या विनियम को तोड़ा है या वित्तीय अनियमितता की है।

- (9) इस प्रयोजन के लिये आहूत की गई विशेष बैठक में प्रायोजित निकाय, कुलाधिपति के विरुद्ध “अविश्वास प्रस्ताव” पर विचार कर सकेगा तथा यदि वह दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है तो कुलाधिपति को हटाये जाने के लिए कुलाध्यक्ष को अनुशंसा कर सकेगा।

- (10) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। उसकी एक प्रति प्रायोजित निकाय के अध्यक्ष को भेजी जायेगी।
- (11) कुलाधिपति, शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तथा डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षणिक सम्मान के लिए दीक्षांत समारोह पर, जब कुलाध्यक्ष उपस्थित न हो, अध्यक्षता करेंगे।

परिनियम क्र. 04

कुलपति की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्ते तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 का संदर्भ)

- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासकीय प्रमुख होगा एवं पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।
- (2) कुलपति, अधिनियम की धारा 17 उप अधिनियम (1) में वर्णित अनुसार, खोज समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल से कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कुलपति की अर्हता यूजीसी के मानदण्डों के अनुसार होगा। खोज समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(एक) प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित दो प्रख्यात शिक्षाविद।

(दो) उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रख्यात व्यक्ति।

कुलाध्यक्ष, खोज समिति के एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेंगे।

- (3) कुलपति, अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (4) के प्रावधानों के अनुसार चार वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

परंतु यह कि,—

- (क) अवधि के अवसान होने पर, कुलपति, दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।
- (ख) कुलपति की बीमारी, लम्बी अनुपस्थिति, निलम्बन, बर्खस्तगी, पदत्याग, या मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति में, कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति या वरिष्ठतम् अध्यापक को या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कुलपति के दायित्व एवं

कर्तव्य सौप देगा। तथापि, सामान्यतः अंतरिम व्यवस्था की यह अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 17 में यथा वर्णित समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति, विश्वविद्यालय के विभिन्न परिनियमों में विहित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।

- (ग) परंतु कुलपति, अपने सेवावधि के अवसान के पश्चात भी नये कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। तथापि, किसी भी दशा में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।
- (4) कुलपति, यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित वेतन तथा प्रायोजित निकाय द्वारा समय—समय पर यथाविनिश्चित अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।
- (5) कुलपति, पदेन सदस्य तथा प्रबंध मण्डल का अध्यक्ष होगा।
- (6) कुलपति अवलोकन करेगा कि विश्वविद्यालय के परिनियम या अध्यादेश एवं नियम विनियम का राज्य शासन और यूजीसी के अनुसार कड़ाई से पालन हो रहा है।
- (7) कुलपति, अधिनियम में यथा विहित सभी प्राधिकरण और निकाय की बैठकें आहूत करेगा।
 - (एक) कुलपति, आपात कालीन स्थिति में निर्णय, जो वह ठीक समझे, लेने हेतु सशक्त होगा ऐसे निर्णय की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु संबंधित प्राधिकरण या समिति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी राय में भिन्नता की स्थिति में, इसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
 - (दो) कुलपति को, अधिनियम द्वारा उसको सम्यक रूप से सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु समिति, जो वह ठीक समझे, गठन करने की शक्ति होगी।
 - (तीन) कुलपति की अधिवार्षिकी आयु, यूजीसी नियमों के अनुसार होगी।

(चार) कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से अमरपत्र दे सकेगा तथा इसकी एक प्रति, कुलाधिपति को भेजेगा।

(7) विधि में उल्लिखित सभी शक्तियों और कार्यों के अतिरिक्त, उपकुलाधिपति के पास निम्न शक्तियां और कार्य भी होंगे :

- (1) विश्वविद्यालय में उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए उपकुलाधिपति के पास सारी आवश्यक शक्तियां होंगी और वह उन शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रदान कर सकता है जिन्हें वह इनके योग्य समझता है।
- (2) उपकुलाधिपति के पास अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कार्मिक को अवकाश प्रदान कर सकता है और उस अधिकारी या कार्मिक की अनुपस्थिति की अवधि में उसके कार्य को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था बना सकता है।
- (3) उपकुलाधिपति के पास एक वर्ष या कम अवधि कीलघु—काल नियुक्तियाँ करने की शक्ति होगी और वह उन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ कर सकता है जिन्हें वह विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझता हो।
- (4) उपकुलाधिपति के पास शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध कर सकता है जो संबंधित व उपयुक्त समितियों या कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित हों।
- (5) कुलाधिपति की सलाह के अनुसार उपकुलाधिपति अपनी किसी शक्ति को विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को प्रदान कर सकता है।

परिनियम क्र. 05

कुलसचिव की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 18 का संदर्भ)

- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का अधिकारी होगा। सभी संविदाओं (अनुबंधों) में हस्ताक्षर करेगा तथा सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों का प्रमाणन विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।
- (2) कुलसचिव की अर्हता, यूजीसी के मापदण्ड अनुसार होगा।
- (3) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (4) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा पर शासी निकाय द्वारा किया जायेगा। तथापि, प्रथम कुलसचिव, दो वर्ष की अवधि के लिये प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा। पश्चावर्ती कुलसचिव, प्रथम कुलसचिव को छोड़कर, इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की अनुशंसा पर शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
 - (क) कुलपति – (अध्यक्ष)
 - (ख) कुलाधिपति का नामिति
 - (ग) प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित दो विशेषज्ञ सदस्य
 - (घ) सीजीपीयूआरसी द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ सदस्य, जो प्रोफेसर की श्रेणी से निम्न का न हो ।

(5) कुलसचिव का चयन:

विश्वविद्यालय, कुलसचिव के चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगी:—

- (क) विश्वविद्यालय, समाचार पत्र में व्यापक प्रसारित समाचार पत्र तथा/या अन्य माध्यम से विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा पद हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा।
- (ख) चयन समिति, प्रत्येक अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लेगी एवं मेरिट का अधिनिर्णय करेगी तथा उसे शासी निकाय को अंतिम अनुशंसा हेतु भेजेगी।
- (ग) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी, प्रथम विज्ञापन में न पाये गये हो तो बाद में पुनः विज्ञापन जारी किया जायेगा।
- (घ) चयन समिति, साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का अधिनिर्णय करेगी तथा तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर लिफाफे में सिलबंद करेगी जिसे कुलसचिव को नियुक्त हेतु अंतिम विनिश्चय के लिये शासी निकाय को भेज देगी।
- (ङ.) अनुमोदित पैनल एक वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी।
- (च) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी न हो तो प्रतिनियुक्त या संविदा नियुक्त के माध्यम से कुलाधिपति द्वारा अंतरित व्यवस्था की जा सकेगी।
- (6) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या जब कुलसचिव, बीमारी या किसी अन्य कारण से लम्बी अनुपरिथिति के कारण अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में असमर्थ रहे, तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जैसा कि कुलाधिपति और/या कुलपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे।
- (7) कुलसचिव, यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार वेतन एवं कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर विनिश्चित अनुसार अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।
- (8) कुलसचिव की सेवानिवृत्ति आयु, बैसठ वर्ष होगी।

(9) कुलसचिव के कर्तव्य एवं शक्तियाँ:-

- (क) अभिलेखों, सामान्य सम्पत्ति तथा विश्वविद्यालय के ऐसी अन्य सम्पत्ति, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करे, का रख-रखाव करना।
- (ख) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् एवं कोई अन्य निकाय या समिति, जिसमें वह सचिव हो, का कार्यालयीन पत्राचार करना।
- (ग) सदस्यों को विश्वविद्यालय प्राधिकरणों की बैठक की तिथि की सूचना जारी करना तथा बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कर्तव्यों के लिये, वह आवश्यक सहायता करेगा।
- (घ) शासी निकाय, विद्या परिषद्, प्रबंध मण्डल, तथा ऐसे अन्य निकाय, जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देश के अधीन बनाये गये हो, के बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाँ उपलब्ध कराना, तथा कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखना तथा कुलपति एवं कुलाधिपति को उसे भेजना। वह ऐसे पेपर, दस्तावेज एवं जानकारी (सूचना) भी उपलब्ध करायेगा, जैसा कि कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति इच्छा करें।
- (ङ) ऐसे सभी कृत्यों का निष्पादन करना, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपा जाये तथा जो परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के अनुसार सौंपे गये हो।
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में कार्यरत स्टॉफ के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनकी गोपनीय रिपोर्ट लिखना।
- (छ) कुलसचिव के लिए यह आवश्यक है कि अपने मुद्रा एवं हस्ताक्षर सहित मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र तथा अन्य संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करे। वह, जारी करने के पूर्व डिग्री प्रमाणपत्र के पृष्ठ भाग पर अपने कार्यालय के मुद्रा सहित अपना हस्ताक्षर का रिकार्ड भी रखेगा।

- (ज) कुलसचिव, ऐसे शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद, जिसका वह मत के अधिकार के बिना सदस्य सचिव है, की बैठक में अध्यक्ष की अनुज्ञा से बोल सकेगा।
- (झ) कुलसचिव का दायित्व होगा कि शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद् तथा अन्य समिति/निकाय, जिसका वह सदस्य सचिव है, की बैठकों में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन करेगा।
- (ज) कुलसचिव ऐसी सहायता करेगा, जैसा कि कुलाधिपति/कुलपति द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में विनिश्चित करें।
- (ट) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में कार्यरत स्टॉफ के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा तथा उनके गोपनीय रिपोर्ट लिखेगा, जो कुलपति/कुलाधिपति द्वारा पृष्ठांकित किया जायेगा।
- (ठ) कुलसचिव को, शिक्षक एवं अन्य शैक्षिक स्टॉफ को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों, जैसा कि कार्यकारी परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा लंबित जांच में उनको निलंबित करने, उनको प्रशासकीय चेतावनी देने या आक्षेप की शास्ति, उन पर अधिरोपित करने या वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति होगी।

परंतु यह कि ऐसी कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि व्यक्ति को, इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। जहाँ जांच स्पष्ट है कि कुलसचिव की शक्ति से परे दण्ड उसके द्वारा आहूत किया गया है वहाँ कुलसचिव जांच के निष्कर्ष के पश्चात् कुलपति को उसकी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट करेगा।

परंतु यह कि शास्ति अधिरोपित करने वाले कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील, शासी निकाय को, की जायेगी।

(ड) विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं कुलसचिव की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जायेगी, जो परीक्षा के प्रक्रिया के संबंध में परीक्षा नियंत्रक एवं परीक्षा समिति को सुझाव, सलाह एवं आवश्यक आदेश दे सकेगा, जो उन पर बाध्यकारी होगा।

(ढ) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(11) कुलसचिव, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा, विहित अवधि में एक माह की नोटिस देकर एवं अपना प्रभार सौंपते हुए, अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

(12) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा जब विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही प्रबंध मण्डल द्वारा प्राधिकृत हो, पावर आफ अटार्नी हस्ताक्षरित करेगा एवं अभिवचन करेगा या इस प्रयोजन हेतु अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करेगा।

परिनियम क्र. 06

मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियां

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 19 का संदर्भ)

- (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (सीएफएओ) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त का कार्य करने हेतु उत्तरदायी एक अधिकारी होगा।
- (2) सीएफएओ की अहंता, अधिमानतः, वाणिज्य/अर्थशास्त्र/वित्त प्रबंध में स्नातकोत्तर होगी साथ ही लेखा एवं वित्त के प्रबंध हेतु किसी विश्वविद्यालय/संस्था/संगठन में 5 वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- (3) सीएफएओ विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के सामान्य अधीक्षण, रिपोर्टिंग, एवं नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा।
- (4) सीएफएओ की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा। तथापि, प्रथम सीएफएओ तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। प्रथम सीएफएओ को छोड़कर, पश्चातवर्ती सीएफएओ, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—
 - (क) कुलपति
 - (ख) कुलाधिपति का नामिती
 - (ग) प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित दो विशेषज्ञ सदस्य
 - (घ) सीजीपीयूआरसी का एक प्रतिनिधि
 - (ड.) कुलसचिव सदस्य सचिव के रूप में।

(5) सीएफएओ का चयन:

विश्वविद्यालय, सीएफएओ के चयन के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अंगीकृत करेगा:

- (क) विश्वविद्यालय, व्यापक प्रसारित समाचार पत्र में या अन्य माध्यम से विज्ञापन की प्रक्रिया द्वारा पद के लिये आवेदन आमंत्रित करेगा।
- (ख) पद के लिए आवेदित सभी अभ्यर्थियों का संक्षिप्त विवरण, चयन समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।
- (ग) चयन समिति साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का अधिनिर्णय करेगी तथा उसे कुलाधिपति की अंतिम अनुशंसा हेतु भेजेगी।
- (घ) अनुमोदित पैनल एक वर्ष के लिये वैध होगी। किसी चयनित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर पदभार ग्रहण न करने या पद को छोड़ने/पद से त्यागपत्र देने की दशा में, सीएफएओ की नियुक्ति के लिये पुनः आमंत्रित किया जा सकेगा।
- (ङ) चयन समिति साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का अधिनिर्णय करेगी एवं तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर सिलबंद लिफाफे में रखेगी, जो सीएफएओ नियुक्ति हेतु अंतिम निर्णय के लिये कुलाधिपति को भेजी जायेगी।
- (च) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी न हो तो कुलाधिपति, एक वर्ष के लिये तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से प्रतिनियुक्ति द्वारा अंतरिम व्यवस्था कर सकेगा। तथापि, यह व्यवस्था एक अतिरिक्त वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- (छ) यदि प्रथम विज्ञापन में उपयुक्त अभ्यर्थी न पाये जाये तो बाद में पुनः विज्ञापन जारी किया जायेगा।
- (ज) जब सीएफएओ का पद रिक्त हो या सीएफएओ, बीमारी या किसी अन्य कारण से लम्बी अनुपस्थिति पर रहने के कारण अपने पदीय कर्तव्य कानिवृहत करने में

असमर्थ रहे तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जैसा कि कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

(झ) किसी भी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, तथा ऐसी जांच, जैसा कि आवश्यक समझे जाए, के पश्चात् स्थिति दर्शित हो कि सीएफएओ का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो कुलपति, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, सीएफएओ को हटाये जाने के लिये कुलाधिपति से अनुरोध कर सकेगा।

(ज) परंतु हटाये जाने संबंधी ऐसी कार्यवाही के पूर्व, सीएफएओ को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(6) सीएफएओ ऐसे वेतन एवं अन्य भत्ते प्राप्त करेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर विनिश्चित किया जाये।

(7) सीएफएओ की सेवानिवृत्त आयु बैसठ वर्ष होगी।

(8) सीएफएओ का कर्तव्य निम्नानुसार होगा:—

(क) अभिलेखों के उचित संधारण हेतु एवं उनके संपरीक्षित नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के लेखे एवं निधि का प्रबंध करना।

(ख) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना।

(ग) विश्वविद्यालय के वित्तीय अभिलेख तथा ऐसे अन्य वित्त संबंधी अभिलेख संधारित करना, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करें।

(घ) ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समनुदेशित किया जाये।

(ङ) नगद और बैंक शेष पर और राज्य निवेश पर सतत रूप से दृष्टि रखना।

(9) सीएफएओ, विहित अवधि में सम्यक् सूचना देकर तथा अपना प्रभार सौंप कर कुलाधिपति को संबोधित हस्तालिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा। इसकी एक कुलपति को भेजी जायेगी।

परिनियम क्र. 07

शासी निकाय की शक्तियां एवं कृत्य

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(क), 22 एवं 26 (1)(क) का संदर्भ)

अधिनियम की धारा 22 के खण्ड (3) के प्रावधानों के अनुसार शासी निकाय में निहित शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:

- (1) विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिये नीति, प्रक्रिया एवं उपाय की समय—समय पर समीक्षा, सुझाव एवं अनुमोदन करना।
- (2) कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा उसको निर्दिष्ट विषय पर अनुशंसा देना।
- (3) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/स्टॉफ के नये पदों के सृजन के लिये प्रायोजित निकाय को अनुशंसा देना।
- (4) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निष्पादन करना, जैसे कि प्रायोजित निकाय द्वारा समनुदेशित किया जाये।
- (5) प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा दिये गये अनुशंसा पर विचार करना तथा अनुमोदन करना।
- (6) विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक या सुविधाजनक प्रयोजन के लिए किसी भूमि, इमारत या संपत्ति, चल या अचल, या बौद्धिक संपत्ति को अधिकार में लेना, खरीदना, बेचना, रेहननामा करना, बंधक रखना, पट्टे पर लेना, उपहार के रूप में उचित और योग्य शर्तों पर स्वीकार करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना,, और ऐसी किसी भूमि, इमारत या संपत्ति पर निर्माण करना, परिवर्तन करना या रखरखाव करना जिसके लिए प्रायोजन निकाय की पूर्व अनुमति ली गई हो।
- (7) अधिनियम की धारा 22 (1) एवं 22(2) के अनुसार शासी निकाय की विरचन करना।

- (8) अधिनियम की धारा 21 (2) के अनुसार शासी निकाय की कार्य अवधि होगी।
- (9) शासी निकाय अधिनियम की धारा 22 (4) के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक आहूत करेगी।
- (10) अधिनियम की धारा 22 (5) के अनुसार 5 सदस्यों से शासी निकाय का कोरम होगा।
- (11) शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा नामांकित प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में सूचना देते हुए शासी निकाय से कोई भी सदस्य, त्याग पत्र दे सकेगा।

परिनियम क्र. 08

प्रबंध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं प्रचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(ख), 23 एवं 26(1) (क) का संदर्भ ।

- (1) प्रबंध मण्डल की विरचना एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे कि अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन वर्णित हैं।
- (2) प्रबंध मण्डल के नामांकित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।
कोई भी सदस्य, दो निरंतर अवधि हेतु नामांकित नहीं होगा।
- (3) प्रबंध मण्डल की बैठक कम से कम प्रत्येक दो माह में होगी तथा बैठक के लिए कोरम पांच सदस्यों से होगी।
- (4) प्रबंध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य निम्नानुसार होगी:—
 - (क) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अन्य अधिकारियों एवं स्टाफ के नये पदों का प्रस्ताव करना तथा उसे शासी निकाय को अनुशंसित करना।
 - (ख) प्रबंध मण्डल के ऐसे निर्णय, जिससे विश्वविद्यालय के वित्तीय भार वहन किये जा सकेंगे, के कियान्वयन के पूर्व शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना।
 - (ग) शिक्षक/स्टाफ के लिए चयन समिति की कार्यवाही विवरण पर विचार करना तथा अनुमोदन करना तथा शासी निकाय को उसे अग्रेषित करना।
 - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सक्षम प्राधिकारी को फीस संरचना प्रस्तावित करना।
 - (ड.) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जो कि शासी निकाय / कुलाधिपति द्वारा सौंपा जाए।

विश्वविद्यालय का वार्षिक/अतिरिक्त बजट तैयार करना और इसके विचार और अनुमोदन के लिए इसे शासी निकाय के सामने रखना।

(ख) विश्वविद्यालय के विद्यालय/केंद्र/विभागों की रचना करना, उन्हें जोड़ना और स्थापित करना और वर्तमान विद्यालयों/केंद्रों/विभागों को किसी समय बंद करना।

प्रोफेसरों, एसोसिएट/सहायक प्रोफेसरों और अन्य शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों के वेतन का निर्धारण करना और उनके उत्तरदायित्वों और कार्यों व सेवा शर्तों को निश्चित करना।

(ङ) विजिटिंग प्रोफेसरों, इमिरीट्स प्रोफेसरों, सलाहकारों, अध्यापन सदस्यों, तदर्थ अध्यापन सदस्यों और विद्वानों की नियुक्ति करना और ऐसी नियुक्तियों की शर्तों को निर्धारित करना।

(च) प्रशासनिक, मिनिस्टीरियल और अन्य आवश्यक पदों का अनुमोदन करना और उनकी स्थापना करना और उन पर नियुक्ति करना।

(छ) किसी अध्यापन सदस्य, प्रशासनिक या मिनिस्टीरियल पद को प्रतिनिधित्व देना और उसे उससे संबंधित शक्तियां, उत्तरदायित्व और कार्य प्रदान करना।

(ज) विभिन्न विद्यालयों, विभागों और केंद्रों में अध्यापकों की संयुक्त नियुक्ति करना जिससे अंतर-विषयी शोध को बढ़ावा मिल सके।

(झ) विश्वविद्यालय के लिये से किसी वसीयत, दान या किसी अचल या चल संपत्ति के हस्तांतरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना।

(ण) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, संपत्ति, व्यापार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और नियमन करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे योग्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना।

(ट) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धन का जिसमें अप्रयुक्त आय भी सम्मिलित है, को स्टॉक, फंड, शेअर और सिक्यूरिटी में समय-समय पर निवेश करना जो उचित हो या इसका प्रयोग अचल संपत्ति खरीदने में किया जाए जिसमें निवेश के विभिन्नीकरण की शक्तियां सम्मिलित हैं।

- (ठ) छात्रों द्वारा देय शुल्क या अन्य प्रतिशुल्कों का अनुमोदन करना जैसे पंजीयन शुल्क, कॉशन मनी, छात्रावास शुल्क आदि और इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर उनका संशोधन करना।
- (ड) इमारत, परिसर, फर्नीचर, यंत्र और अन्य माध्यमों को उपलब्ध कराना जो विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए आवश्यक हों और विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति को हस्तांतरित करना या हस्तांतरण स्वीकार करना।
- (इ) विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर, चिह्न, गान आदि का चयन करना और इसकी सुरक्षा और प्रयोग के लिए प्रावधान करना।
- (ज) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा में प्रवेश करना, परिवर्तित करना, लागू करना या निरस्त करना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करना।
- (त) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापन कार्मिकों और अन्य कार्मिकों की शिकायतों को स्वीकार करना और उनका समाधान करना और यदि उचित हो तो उसका निवारण करना जो किसी कारण से दुखी हों।
- (थ) ऐसे कार्यक्रमों और उनकी निम्नतम अवधि का अनुमोदन अपनी इच्छा से करना या शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा के आधार पर उन्हें चालू करना, परिवर्तित करना या बंद करना।
- (द) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में न्यूनतम अहर्ता सहित प्रवेश प्रक्रिया का अनुमोदन करना।
- (ध) विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए नियमों का अनुमोदन करना।
- (ए) छात्रों को शैक्षणिक दस्तावेजों या प्रमाणपत्रों को निर्गत करने के शुल्क निर्धारित करना और उनका संशोधन करना।
- (प) परीक्षकों और मॉडरेटर्स की नियुक्ति और आवष्यकता पड़ने पर उन्हे हटाने के नियमों/विनियमों का अनुमोदन करना, और उनके शुल्क, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्तों का अनुमोदन शैक्षणिक परिषद से मंत्रणा करने के बाद करना।

- (फ) उपसमितियों की स्थापना करना और उनकी स्थापना संबंधी प्रयोजनों के लिए उनके उत्तरदायित्वों और शक्तियों का निर्धारण करना और ऐसी उपसमितियों द्वारा दी गई अनुशंसाओं और निर्णयों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।
- (ब) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों, समितियों, उपसमितियों की, बैठकों का आयोजन संचालन तथा उनकी बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अभिलेखन और अन्य संबंधित कार्यों को करने के लिए प्रक्रियाओं को निश्चित करना।
- (भ) उद्योग, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशनों, प्रतिष्ठानों, न्यासों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि से भागीदारी करना ताकि ज्ञान की प्रगति हो सके और यदि वांछित हो तो ऐसी भागीदारी से प्राप्त लाभ से समग्र कोण निर्मित लाभ करना।
- (म) विश्वविद्यालय फेलोशिप, सहायक अनुदान, छात्र अनुदान, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार को स्थापित करने और प्रदान करने के लिए नियम बनाना।
- (य) उद्योग, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशनों, प्रतिष्ठानों, न्यासों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों आदि से ज्ञान की प्रगति के लिए भागीदारी करना और यदि वांछित हो तो ऐसी भागीदारी से लाभ लेने के लिए धनराशि की व्यवस्था करना।
- (र) विश्वविद्यालय के परिनियमों में वांछित संघोधन का प्रारूपण तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रारूपित किसी पञ्चातवर्ती परिनियम का अनुमोदन करना।
- (ल) शासी निकाय/कुलाधिपति/प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त या अनुशंसित किसी कार्य को करना।
- (व) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य करना जिनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन वे विश्वविद्यालय के सामान्य हित में हैं।

परिनियम क्र. 09

विद्या परिषद् की स्थापना, शक्तियां एवं कृत्य

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(ग),
24 एवं 26 (1)(क) का संदर्भ)

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वयन तथा उस पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

- (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे,,

 - (क) कुलपति (अध्यक्ष)
 - (ख) सभी अधिष्ठाता एवं विभाग प्रमुख
 - (ग) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी प्रोफेसर
 - (घ) कुलाधिपति द्वारा नामांकित संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/केन्द्रीय संस्थान के तीन प्रोफेसर,
 - (ड.) कुलाधिपति द्वारा नामांकित वैज्ञानिक/शिक्षाविद्/तकनीशियन/उद्योग विशेषज्ञ में से तीन प्रतिनिधि। कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो अध्यापक सदस्य।
 - (ग) विज्ञान/प्रबंधन/तकनीकी/कला के क्षेत्र से दो उत्कृष्ट शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा नामित होंगे।
 - (घ) स्पासरिंग निकाय द्वारा नामित दो उद्योग से जुड़े व्यवसायिक विशेषज्ञ।

- (2) विद्या परिषद के नामांकित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। कोई भी सदस्य दो निरंतर अवधि से अधिक के लिए नामांकित नहीं होगा।
- (3) कुलपति, विद्या परिषद की बैठकों पर अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् अधिष्ठाता बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (4) कुलसचिव, विद्या परिषद का सदस्य सचिव होगा तथा कुलसचिव कि अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (5) पदेन अधिकारियों का कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक होगा जिसके कारण वे सदस्य बने हैं। नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किसी आकस्मिक रिवित को भरने के लिए किसी नामित सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य की शेष अवधि होगा जिसके रथान पर उसका नामांकन हुआ है।
- (6) अध्यक्ष सहित विद्या परिषद के एक तिहाई सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। परंतु स्थगित की गई बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी।

सामान्यतः: विद्या परिषद् कि सभी बैठकों के लिए स्पष्टतः पन्द्रह दिनों की नोटिस दी जायेगी तथा कार्यसूची सुसंगत पत्रों सहित, बैठक की तिथि के कम से कम सात दिनों के पूर्व भेजा जायेगा, तत्काल स्वरूप की बैठक के लिए सूचना, सामान्यतः तीन दिन होगी।

- (7) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:-
- (क) किसी विशिष्ट कारोबार, जो परिषद के समक्ष विचारण हेतु आ सकता हो, संबंधी विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों, व्यक्तियों को सहयोजित करना। इस प्रकार सहयोजित सदस्यों के पास, कारोबार, जिसके संबंध में वे सहयोजित किये जा सकते हो, के संव्यवहार के संबंध में परिषद के सदस्यों के सभी अधिकार होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध और संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

(ग) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का सामान्य अधीक्षण करना तथा शिक्षण, अध्यापन एवं शोध का मूल्यांकन या शैक्षिक मानक में सुधार की पद्धति के संबंध में निर्देश देना।

विश्वविद्यालय की उपाधियों, मानद उपाधियों और ऐसी अन्य अलंकरणों या सम्मान के प्रदाय के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/संकायों से प्राप्त प्रस्तावों पर प्रबंधन परिषद को अनुशंसा भेजना।

अंतर— विद्यालय/केंद्र समन्वय स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने हेतु ऐसी उपसमितियों या परिषदों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(घ) संकाय या प्रबंध मण्डल या शासी निकाय द्वारा किये गये पहल या संदर्भ पर सामान्य शैक्षणिक हित के विषयों पर विचार करना एवं उस पर समुचित कार्यवाही करना।

(ङ) संकाय के विभागों को निधि आबंटित करने के लिये शासी निकाय को प्रस्ताव देना।

(च) फेलोशिप, स्कालरशिप, स्टुडेन्टशिप, एकिजिबिशन, मेडल एवं प्राईस के संस्थापन के लिये शासी निकाय को प्रस्ताव देना एवं उनको प्रदान करने के लिये नियम बनाना।

(छ) अध्यादेश में यथा विहित विषय या अंतर अनुशासनात्मक विषय में शोध गार्ड/सह-गार्ड के रूप में सहबद्ध किये जाने वाले उनके विषय में श्रेष्ठ व्यक्तियों को मान्यता देना।

(ज) संकाय/स्कूल/विभाग को विषय को मान्यता प्रदान करने एवं अभिहस्तांकन के लिये योजना निर्मित करना, उपान्तरित करना एवं पुनरेक्षण करना तथा

विश्वविद्यालय के संकाय/स्कूल/विभाग के किसी बाध्यता, पुनर्गठन या विभाजन की समीचीनता के संबंध में शासी निकाय को रिपोर्ट देना ।

फेलोशिप, छात्रवृत्ति, छात्र अनुदान, प्रदर्शनी, पदक और पुरस्कार की स्थापना के लिए शासी निकाय को प्रस्ताव भेजना और उनके प्रदाय के लिए नियम बनाना ।

- (झ) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री को मान्यता देना तथा विनियामक निकाय के मानदण्डों के आधार पर उनकी समतुल्यता निर्धारित करना ।
- (ज) महिला विद्यार्थियों के शिक्षण के लिये तथा उनके लिये विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करने के लिये विशेष व्यवस्था, यदि कोई हो, करना। पुस्तकालय के कार्य का पर्यवेक्षण करना ।
- (ट) विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना ।
- (ठ) संकाय/विभाग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के सिलेबस का अनुमोदन करना तथा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये अध्यादेश के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करना ।
- (ड) स्टायफण्ड, स्कालरशिप, मेडल एवं प्राइज प्रदान करना तथा अध्यादेश के अनुसार एवं ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि समय-समय पर अवार्ड के लिये संलग्न किया जाये, के अनुसार प्रदान करना ।
- (ढ) विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के सिलेबस तथा संबंधित विषय के लिये विहित या अनुशंसित पाठ्य-पुस्तकों की सूची का प्रकाशन करना ।

- (ए) परीक्षा कार्य के लिये परिश्रमिक एवं भत्तों की दरें, शासी निकाय को अनुशंसित करना।
- (ट) कुलाधिपति या शासी निकाय या प्रबंध मण्डल, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा उसको निर्दिष्ट विषयों पर अनुशंसा देना।
- (थ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि समय—समय पर विहित किया जाये।
- (द) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री की शब्दावली यूजीसी के निर्देशों के अनुसार है।

परिनियम क्र. 10

वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं प्रचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(घ), एवं 26(1)(क) का संदर्भ ।

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति समिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति या उसका नामिती	अध्यक्ष
-------------------------------	---------

(दो) कुलपति	सदस्य
-------------	-------

(तीन) कुलसचिव	सदस्य
---------------	-------

(चार) प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित एक व्यक्ति	सदस्य
--	-------

(पाँच) मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी	सदस्य सचिव
-------------------------------------	------------

(2) वित्त समिति के (1) (चार) के अधीन सदस्यों की पदावधि, पदेन सदस्य को छोड़कर, तीन वर्ष होगी ।

(3) वित्त समिति प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी । समिति के सदस्यों को बैठक में पहुँचने के संबंध में, वित्त समिति की बैठक की सूचना, बैठक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी तथा बैठक की कार्यसूची कम से कम सात दिवस पूर्व सदस्यों को भेजी जायेगी ।

(4) वित्त समिति के अध्यक्ष सहित, तीन सदस्यों से बैठक का कोरम होगा ।

(5) वित्त समिति के कृत्य एवं शक्तियाँ निम्नानुसार होंगी :—

(क) विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना एवं उसके विचारण एवं अनुमोदन के लिये शासी निकाय के समक्ष रखना ।

- (ख) कुलपति के निर्देश के अधीन तैयार की गई विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे पर विचार करना तथा उसके विचारण एवं अनुमोदन के लिये शासी निकाय के समक्ष रखना ।
- (ग) ऐसी शर्त, जैसा कि वह उचित समझे, पर विश्वविद्यालय की संपत्ति के संबंध में वसीयत एवं दान स्वीकार करने हेतु शासी निकाय को अपनी अनुशंसा देना ।
- (घ) विश्वविद्यालय के लिये मेकेनिज्म एवं स्ट्रोत तैयार करने हेतु अनुशंसा करना ।
- (ड.) शासी निकाय द्वारा उसको निर्दिष्ट अन्य विषयों पर विचार करना तथा उस पर अपनी अनुशंसा करना ।
- (च) वित्त प्रभावित विषय पर विश्वविद्यालय को सलाह देना ।
- (छ) यह अवलोकन करना कि विश्वविद्यालय के आय व्यय के लेखों के संधारण के संबंध में विनियमों का अनुपालन हो ।

परिनियम क्र. 11

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण

उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 14 (6) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण निम्नलिखित होंगे:-

1. प्रति-कुलपति

1. प्रति-कुलपति की नियुक्ति, चयन समिति द्वारा चार वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। चयन समिति की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा और इसमें कुलपति और अध्यक्ष, प्रायोजित निकाय के 2 नामिति सम्मिलित होंगे।
2. प्रति-कुलपति, उपरोक्त खण्ड (1) में बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पश्चात्वर्ती अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
3. कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलपति कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
4. प्रति-कुलपति, प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने का पात्र होगा।
5. प्रति-कुलपति, कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
6. प्रति-कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। प्रति-कुलपति, कुलाधिपति द्वारा विनिश्चित तारीख तक पद धारण करेगा।

2. संचालक

- 2.1 विश्वविद्यालय के संचालक / परिसर निदेशक को कुलाधिपति द्वारा आमतौर पर प्रायोजक निकाय की सिफारिश पर 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- 2.2 उपरोक्त खंड में निर्धारित प्रक्रिया के बाद संचालक पश्चात्‌वर्ती अवधि हेतु पुर्णनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- 2.3 संचालक को समय—समय पर कुलाधिपति / प्रायोजक निकाय द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करना होगा।
- 2.4 संचालक समय—समय पर कुलाधिपति / प्रायोजक निकाय द्वारा तय किए गए वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगा।
- 2.5 संचालक अपने पद से कुलाधिपति को संबोधित अपने हस्तालिखित पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है।
- 2.6 संचालक द्वारा कुलाधिपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाएगा।
- 2.7 संचालक जिम्मेदार होगा:
 - (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई अन्य नियामक निकायों और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों को विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों, 'ओध अनुसंधान और विकास गतिविधियों के अनुमोदन के संबंध में प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मार्गदर्शन और सलाह देने।
 - (ख) सेमिनार सम्मेलन कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि भेजने हेतु उप—कुलाधिपति को सिफारिश करने के लिए।
 - (ग) विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर विशेष रूप से विश्वविद्यालय में शिक्षा शिक्षण और शोध के मानदंडों और मानकों के संबंध में सलाह देना।
 - (घ) भारतीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इत्यादि जैसे अन्य संस्थानों की सदस्यता के लिए सिफारिश और आवेदन करने के लिए।

- (ङ) समय—समय पर देश और विदेशों के किसी भी विश्वविद्यालय / अनुसंधान संस्थान / केंद्रों के सहयोग से संबंधित अध्यक्ष / अध्यक्षों के साथ समन्वय करने के लिए।
- (च) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों / अध्ययन के स्कूल संधारित संस्थानों में शिक्षण और शोध के काम के संबंध में संबंधित डीन के साथ समन्वय करने के लिए एवं नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत हेतु।
- (छ) समय—समय पर विषय के पाठ्यक्रम, सुचीपत्र और अन्य दस्तावेज की छपाई की व्यवस्था करने।
- (ज) भारतीय और साथ ही साथ विदेशी राष्ट्रों में स्थित भी विश्वविद्यालय / अनुसंधान संस्थान से सहयोग के संबंध में संबंधित अध्यक्ष के साथ समन्वय करने के लिए।
- (झ) शिक्षण अनुसंधान और विकास बजट से सेमिनार / सम्मेलनों / प्रकाशन / यात्रा अनुदान / अतिथि व्याख्यान / अतिथि प्रोफेसर इत्यादि की व्यवस्था के लिए के अनुदान प्रकरणों का निपटारा करना।
- (ज) सभी अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ऊटी अवकाष को मंजूरी देने और विश्वविद्यालय / रखरखाव संस्थान के शिक्षकों को छुट्टी प्रदान करने के लिए।
- (ट) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/परिसर में संबंधित विभिन्न संस्थानों पत्राचार पाठ्यक्रम संचालनालय में कार्यरत विद्यकाओं (अध्यक्ष व पेशेवरों को छोड़कर) को 21 दिनों तक की अवधि के पुनर्ष्यर्या/नवाचार पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु कर्तव्य अवकाष की स्वीकृति देना।
- (ठ) समय—समय पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए शिक्षकों के आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए।
- (ड) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालय के रखरखाव संस्थानों के पुस्तकों, उपकरण, फर्नीचर इत्यादि के लिए प्रस्तावों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त अनुरोध के औचित्य की जाँच करना।
- (ढ) समकक्ष समिति से संबंधित कार्य के अंतर्गत यू.जी.सी. योजनाओं के तहत पाठ्यक्रमों/व्यावसायिक पाठ्यक्रम को मान्यता देना।
- (ण) वित्त समिति के लिए विभिन्न शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बजट आवंटन की सिफारिश करना।

(त) समय—समय पर कुलाधिपति / उपकुलाधिपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए किसी अन्य शैक्षिक प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करना।

3. परीक्षा नियंत्रक

1. परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा और कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से नियुक्त किया जायेगा।
2. जब परीक्षा नियंत्रक का पद किसी कारण से रिक्त रहता हो या बीमारी या कोई अन्य कारणों से अनुपस्थिति के कारण पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ रहता हो, तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जाएगा, जैसा कि कुलपति इस प्रयोजन हेतु शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से नियुक्त करे।
3. परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा का आयोजन एवं समस्त अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखेगा तथा परीक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाओं का निष्पादन करेगा और सक्षमतापूर्ण अनुमोदन पश्चात् परिणामों की घोषणा करेगा।
4. परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य कुलसचिव द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के कुलसचिव के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन एवं अधीनस्थ कार्य करेगा।

4. ग्रंथपाल

ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति, शिक्षकों हेतु परिनियम क. 18 के खण्ड (3) से (9) के माध्यम से बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जायेगी। ग्रंथपाल की अहता, यूजीसी के मानदण्डों तथा शासी निकाय/विद्या परिषद द्वारा समय—समय पर अनुमोदित अनुसार होगी।

5. निदेशक, शारीरिक शिक्षा

पी ई निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे और उनकी नियुक्ति, शिक्षक के लिये परिनियम क्रमांक 18 के खण्ड (3) से (9) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जायेगी। पी ई निदेशक की अर्हता, यूजीसी की मापदण्डों के अनुसार एवं शासी निकाय/विद्या परिषद द्वारा समय समय पर अनुमोदित अनुसार होगी।

6. उप/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा

उप/सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति, कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय—समय पर यथा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।

7. उप/सहायक ग्रंथपाल

उप/सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति, कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय—समय पर यथा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।

8. उप/सहायक कुलसचिव

उप/सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति, कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय—समय पर यथा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।

परिनियम क्र. 12

नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित विभागों/विषयों के विभाग या समूह, उसके कॉलम (1) में उल्लिखित संकाय के नाम के अधीन होंगे:

संकाय का नाम	विभागों/विषयों के विभाग/विषय या समूह
अभियांत्रिकी (संकाय ऑफ इंजीनियरिंग, एलाइड साइंसेज एंड इनोवेशन्स एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी)	एअरोनॉटिक एंड एविएशन इंजीनियरिंग ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ऑटोमोबील इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड आइ. टी. सिविल एंड एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरिंग मेटीरियल साइंस इंजीनियरिंग मेकेनिकल इंजीनियरिंग मेकाट्रोनिक्स इंजीनियरिंग मेटालर्जी इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग मल्टी-डिसीप्लीनरी इंजीनियरिंग न्यूकिल्यर साइंस एंड इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सोफ्टवेअर इंजीनियरिंग वायरलेस इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क्स ऐसे अन्य विषय
अभिरेखण (संकाय ऑफ डिजाइन)	आर्ट, मीडिया, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एनिमेशन आर्किटेक्चर एंड लाइटिंग डिजाइन कम्प्यूनिकेशन डिजाइन ज्वेलरी डिजाईन एन्वायरनमेंट डिजाइन एंड सस्टेनेबिलिटी फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फाइन आर्ट्स

	ग्राफिक एंड डिजिटल डिजाइन गेम डिजाईन एवं डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डिजाइन इंटीरियर एंड लैंडस्केपिंग डिजाइन इनोवेशन डिजाइन इंजीनियरिंग फिल्म, एनीमेशन, विडियो प्रोडक्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस डिजाइन स्ट्रेटेजिक डिजाइन एंड मैनेजमेंट ट्रांसडिसीप्लीनरी अन्य ऐसे विषय
प्रबंधन / वाणिज्य / वित्त (संकाय ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस)	एकांउटिंग एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन्स एप्लाइड इकोनोमिक्स एंड बिजनिस मैनेजमेंट बैंकिंग बिजनिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स इकोनोमिक्स कार्पोरेट सेक्रेटरी एंट्रेप्रेन्यूरशिप फाइनैशियल एकांउटिंग फाइनेंस / एकांउटिंग एंड रियल इस्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पीटल लॉजिस्टिक्स ह्यूमेन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनिस इंश्योरेंस मल्टी-डिसीप्लीनरी प्रोग्राम रिटेल सेल्स रुरल मैनेजमेंट सप्लाइ चेन सेल्स एंड मार्केटिंग खेल टेक्सेशन ऐसे अन्य विषय

<p>होटल प्रबंधन / सत्कार / पर्यटन / यात्रा (संकाय ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड होस्पीटेलिटी) (संकाय ऑफ ड्रेवल एंड टूरिज्म)</p>	<p>आयुर्वदा कुसीन एंड नेशनल कुसीन्स बेकरी एंड कंफेक्शनरी केटरिंग एंड कुलिनरी आर्ट्स होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट हॉस्पीटेलिटी हाउसकीपिंग फूड एंड बेवरेज ग्लोबल हॉस्पीटेलिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनल हॉस्पीटेलिटी एंड टूरिज्म इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशन्स मैनेजमेंट ट्रेवल एंड टूरिज्म वेडिंग्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट ऐसे अन्य विषय</p>
<p>विज्ञान (संकाय ऑफ साइंस)</p>	<p>एकटुएरियल साइंस एनिमेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स हुमेनिटीज एंड सोशल साइंसेज लाइब्रेरी एंड इंफोर्मेशन साइंस लाइफ साइंसेज मेटीरियल साइंस मेथेमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस माइक्रोबायोलॉजी ब्रेन एंड कॉग्नाइटिव साइंसेज केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल भैथेमेटिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स क्रिमीनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस अर्थ, एटमॉसफेरिक एंड प्लेनेटरी साइंसेज एन्वायरनमेंटल साइंसेज फिजिक्स पोलीमर केमिस्ट्री स्टेटिक्स</p>

नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी
नॉन-कन्वेशनल एनर्जी
ऐसे अन्य विषय

परिनियम क्र. 13

संकायों का गठन, शक्ति एवं कार्य

(1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

- (क) संकाय का अधिष्ठाता, जो अध्यक्ष होगा।
- (ख) संकाय में अध्ययन स्कूलों/अध्ययन के विभागों के प्रमुख/अध्यक्ष।
- (ग) संकाय में सभी प्रोफेसर/वरिष्ठ शिक्षक।
- (घ) संकाय में प्रत्येक विभाग से, वरिष्ठता अनुसार रोटेशन द्वारा एक एसोसियेट प्रोफेसर एवं एक असिस्टेंट प्रोफेसर।

(2) संकाय की अवधि तीन वर्ष की होगी।

(3) संकायों की निम्नलिखित शक्ति एवं कृत्य होंगे:-

- (क) अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये गये पाठ्यचर्चा पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।
- (ख) संकाय के सदस्य के रूप में शिक्षाविदों/उद्योगविदों/वैज्ञानिकों को सहयोजित करना।
- (ग) अध्ययन मण्डल एवं स्थायी समिति/अन्य शैक्षणिक निकायों द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों को विद्या परिषद को समीक्षा हेतु देना एवं अनुशंसा करना।
- (घ) संकाय को ऐसी शक्तियां होंगी तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा समय—समय पर सौंपे जायें तथा विभिन्न विषयों में ऐसे अध्ययन मण्डल की गठित करेगा, जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

- (ड.) संकाय, उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी प्रश्न पर या विद्या परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करेगा तथा विद्या परिषद को ऐसी अनुशंसा देगा, जैसा कि उसको आवश्यक प्रतीत हो।
- (च) संकाय के आधे (वन हाफ) सदस्यों से कोरम होगी।

परिनियम क्र. 14

संकायों के अधिष्ठाता के शक्तियाँ एवं कार्य

प्रत्येक संकाय के लिये एक अधिष्ठाता होगा। संबंधित संकायों के अधिष्ठाताओं की नियुक्ति, संबंधित संकाय के प्रोफेसरों के बीच से वरिष्ठता अनुसार रोटेशन के आधार पर तीन वर्ष की कालावधि हेतु कुलपति की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा।

परंतु यह कि:

- (1) यदि वहां कोई प्रोफेसर न हो, तो एसोसियेट प्रोफेसर वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा संकाय के अधिष्ठाता के रूप में कार्य करेगा।
- (2) अधिष्ठाता वरिष्ठता अनुसार संकाय का अध्यक्ष होगा तथा संकायों से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायी होगा।
- (3) अधिष्ठाता विभाग/संकाय के संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा विभागों/संकाय में शिक्षण एवं शोध कार्य संचालित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) संकाय का अधिष्ठाता ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि शासी निकाय/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे जाए।
- (5) अधिष्ठाता के पास, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अधिष्ठाता के पद से इस्तीफा देने एवं संकाय के अधिष्ठाता के रूप में अपनी बारी में नियुक्ति के ऑफर को टुकराने का भी विकल्प होगा।

परिनियम क्र. 15

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति

- (1) विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों अर्थात् प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विद्या परिषद, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में समय—समय पर उपलब्ध रिक्तियों को भरने के लिये शासी निकाय को अनुशंसा कर सकेगा।
- (2) शासी निकाय, विद्या परिषद की अनुशंसाओं को मूल्यांकित कर समय—समय पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षिक रिक्तियों को भरने का अनुमोदन करेगा।
- (3) शिक्षण पदों (प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर) के लिए, यदि आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या कोई अन्य संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानदण्ड अनुसार प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए आवश्यक अर्हताओं एवं वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए ऑनलाइन या व्यापक प्रसारित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित की जायेगी।
- (4) कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से मिलकर बनी जांच समिति, सभी आवेदनों की जांच तथा सभी अन्यर्थियों के आवश्यक अर्हताओं से संतुष्ट होने पर एक संक्षेपिका तैयार करेगी तथा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगी।
- (5) जांचे गये आवेदन की संक्षेपिका को, साक्षात्कार के समय चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) नियमित शिक्षक की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:

(एक) कुलपति	— अध्यक्ष
(दो) कुलपति द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ	— सदस्य
(तीन) कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित एक सदस्य	— सदस्य

(चार) सीजीपीयूआरसी का एक प्रतिनिधि, चाहे वह उसका सदस्य हो, अथवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी से अनिम्न का व्यक्ति

—सदस्य

(पांच) कुलसचिव

—सदस्य सचिव

तीन सदस्यों से कोरम होगा।

- (7) चयन समिति, व्यक्ति जिसको संकाय के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त माना गया है, के नाम मेरिट, यदि हो, के कम में व्यवस्थित करते हुये, शासी निकाय को अनुशंसा करेगी।
- (8) नियुक्ति के अनुमोदन के पश्चात्, जैसा कि चयन समिति द्वारा अनुशंसित और शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाये, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
- (9) अभ्यर्थी के चयन या चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा असहमति के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (10) नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलाधिपति कुलपति के परामर्श से, व्यक्तियों, जिसने उत्कृष्ट प्रोफेसर, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, विख्यात प्रोफेसर, अनुबंध प्रोफेसर, सलाहकार/निदेशकों/निदेशक के रूप में शैक्षणिक और शोध में प्रतिष्ठा अर्जित की हो, को शोध, शिक्षण और विस्तार में शैक्षणिक उत्कृष्टता को पुरस्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय में नियुक्त कर सकेगा। इन पदों के लिये मानदेय, भत्ते, निबंधन तथा शर्तें, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (11) पूर्णकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, या तो सीधी भर्ती या आऊटसोर्सिंग के माध्यम से निश्चित कालावधि, अंशकालीन, अनुबंध और/या एसाइनमेंट पर आधारित पदों में संलग्न करने का निर्णय कर सकेगा। निबंधन एवं शर्तें (जैसे मानदेय, टी.ए.

/डी.ए. सुविधायें आदि) या ऐसे संलग्नीकरण का निर्णय, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय—समय पर लिया जायेगा।

- (12) इस संबंध में कोई विवाद/विधिक मामले जिला न्यायालय रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के क्षेत्राधिकार का विषय होगा।
- (13) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त सभी शिक्षक, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखें जायेंगे, एक और वर्ष के लिए बढ़ाये जा सकेंगे, परिवीक्षा के संतुष्टिपूर्ण पूरा करने पर स्थायीकरण का आदेश जारी किया जायेगा।

शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

- (1) जहाँ शिक्षकों के विरुद्ध कदाचरण का आरोप हो, वहाँ कुलपति तथ्य निष्कर्ष समिति का गठन करेगा एवं यदि आवश्यक हो, तो समिति के निष्कर्ष के आधार पर इस प्रयोजन के लिए एक जांच समिति संस्थापित कर सकेगा।
- (2) जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कुलपति कदाचरण की गंभीरता के आधार पर, कुलाधिपति की अनुशंसा से, कार्यवाही करने का विनिश्चय कर सकेगा।
- (3) पैरा (2) में की गई किसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील, की गई कार्यवाही के संसूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर शासी निकाय को, की जा सकेगी।

परिनियम क. 16

16 क. गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के प्रवर्ग

- (1) गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्ग विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये जायेंगे:
 - (क) स्थायी कर्मचारी
 - (ख) संविदा कर्मचारी
 - (ग) आकस्मिक कर्मचारी
- (2) स्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो स्पष्ट रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो। ऐसे कर्मचारी के लिए परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी जिसे यदि आवश्यक हो तो बढ़ाया जा सकेगा।
- (3) संविदा कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया हो।
- (4) आकस्मिक कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो मस्टर रोल के आधार पर संलग्न किया गया हो।

16 ख. गैर-शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति

(छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 (1) (ग), (ड.) एवं (च) का संदर्भ)

1. गैर-शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं

- (क) विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा विहित अनुसार गैर-शिक्षकीय स्टाफ के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हताएं पूरा करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा आङ्गापित नियुक्ति की अन्य न्यूनतम शर्तों को भी पूरा करेगा।

2. गैर-शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति के लिए चयन समिति

(क) वरिष्ठ प्रशासक /वरिष्ठ गैर-शिक्षकीय स्टाफ (कुलसचिव एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, जो परिनियम क. 5 एवं 6 में कमशः परिभाषित है, से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(एक) कुलपति— अध्यक्ष

(दो) कुलपति द्वारा नामांकित एक प्रोफेसर या एसोसियेट प्रोफेसर — सदस्य

(तीन) शासी निकाय द्वारा नामांकित दो बाह्य विशेषज्ञ — सदस्य

(चार) कुलसचिव — सदस्य सचिव

(ख) अन्य प्रशासक / गैर-शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयीन चयन समिति: विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासक/गैर-शिक्षकीय स्टाफ की नियुक्ति के लिए चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(एक) कुलसचिव — अध्यक्ष

(दो) कुलपति द्वारा नामांकित दो विशेषज्ञ

(तीन) विभाग, जिसमें उसकी प्रास्थिति हो, के पर्यवेक्षक /वरिष्ठ सदस्य

(ग) चयन समिति की बैठक

(एक) चयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी।

(दो) चयन समिति के तीन सदस्यों से कोरम होगी।

(तीन) चयन समिति के अध्यक्ष मत विचारणीय एवं निर्णायक होगा। समिति के सदस्य उनके प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थी को मेरिट क्रम में ऐक समनुदेशित करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची सम्यक विचार विमर्श के बाद रखे जायेंगे।

(चार) परंतु कुलाधिपति को चयन समिति द्वारा किये गये किसी नियुक्ति को शून्य एवं शून्यकरणीय घोषित करने की शक्ति होगी।

3. पारिश्रमिक नीति

कर्मचारी के सभी संवर्गों को देय वेतन एवं अन्य भत्ते, ऐसे वेतनमान या वेतनमान के ऐसे क्रम में होगा, जैसा कि प्रबंध मण्डल यूजीसी के दिशा निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार समय—समय पर अंगीकृत या विनिश्चित करे।

शासी निकाय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की निबंधन एवं शर्तें विरचित करेगा।

4. आचार संहिता

सभी स्टाफ सदस्य, नियमों एवं विनियमों में वर्णित अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित आचार संहिता का अनुसरण करेंगे।

5. भविष्य एवं पेंशन निधि

विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लिए लाभ हेतु ऐसे भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसे बीमा योजना, जैसा कि शासकीय नियमों एवं विनियमों के अनुसार उचित समझे, प्रावधान करेगा।

6. विवाद का सुलह

विश्वविद्यालय एवं किसी प्रशासनिक या गैर-शैक्षणिक स्टाफ के मध्य संविदा अथवा उसके भंग या समाप्ति या अविधिमान्यकरण अथवा विश्वविद्यालय एवं उसके अधिकारियों के मध्य उदभूत या उसके संबंध में किसी विवाद, विरोधाभास या दावा, किसी संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति के अनुरोध पर, कुलपति द्वारा नामांकित एक सदस्य को मिलाकर बनी सुलह अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें से एक संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा नामांकित होगा। एवं दो नामांकित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को चयनित किया जायेगा।

उप-धारा (1) के अधीन संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किये गये प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ के अंतर्गत इस धारा की शर्तों पर सुलह के लिए प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा। अधिकरण के कार्य के विनियमन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जायेगी।

7. अपील का अधिकार

विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थान के प्रत्येक प्रशासक या गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के पास, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय के विरुद्ध कुलपति को विनियमों द्वारा यथा विहित समय के भीतर अपील करने का अधिकार होगा, तदुपरांत कुलपति समुचित रूप से संबोधित कर सकेगा।

8. विद्यमान कर्मचारी के लिए विशेष प्रावधान

उन व्यक्तियों, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छोड़कर, इस परिनियम की अधिसूचना के समय विश्वविद्यालय में नियमित पद धारण करने वाले कर्मचारी, ऐसी अधिसूचना होने पर, इस परिनियम के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

9 गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

- (1) जहां गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचरण का आरोप हो, वहां कुलसचिव तथ्य निष्कर्ष समिति का गठन करेगा तथा यदि आवश्यक हो, तो समिति के निष्कर्षों के आधार पर, इस प्रयोजन के लिए एक जांच समिति संस्थापित कर सकेगा।
- (2) जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर, कुलसचिव, कदाचरण की गंभीरता के आधार पर, कार्यवाही का विनिश्चय कर सकेगा।
- (3) कुलसचिव द्वारा की गई किसी कार्यवाही के विरुद्ध अपील, की गई कार्यवाही की संसूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर कुलपति के समक्ष किया जा सकेगा।

परिनियम क्र. 17

शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद की स्थायी समिति

- (1) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद कुलपति के साथ या अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने संबंधित स्थायी समिति का गठन कर सकेंगे।
- (2) कुलसचिव, स्थायी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (3) स्थायी समिति की बैठक, आवश्यकतानुसार, समिति के अध्यक्ष के निर्देशनों के अधीन आहूत की जायेगी।

स्थायी समिति के सदस्यों का आधे भाग (वन हाफ) से कोरम होगा। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।

- (4) स्थायी समिति की बैठक के लिए सूचना के साथ एजेण्डा को बैठक के कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जायेगी। तथापि, स्थायी समिति की आपात बैठक, आवश्यकतानुसार, एक घंटे की सूचना के साथ कुलपति द्वारा आहूत की जायेगी।
- (5) उपरोक्त खण्ड (1) से भिन्न समस्त प्राधिकारियों को शासी निकाय के अनुमोदन से उसमें निहित किसी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) कुलाधिपति और कुलपति, कर्मचारियों की नियुक्ति (शिक्षण और गैर-शिक्षण) और उनकी सेवाओं के पर्यवसान के अनुमोदन को छोड़कर, उसमें निहित शक्तियों को सौंप सकेगा। शासी निकाय को ऐसे प्रत्यायोजन की रिपोर्ट दी जायेगी।

परिनियम क्र. 18

मण्डल एवं समिति

शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद्, प्राधिकरण के सदस्यों को मिलाकर समितियों का गठन कर सकेगा एवं कोई ऐसी समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपे गये किसी विषय के साथ संव्यवहार कर सकेगा तथा उसे रिपोर्ट करेगा।

परिनियम क. 19

परीक्षा समिति

1. विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षायें, संबंधित अध्यादेश के अनुसार आयोजित की जायेंगी। सुविधा के क्रम में, निम्नलिखित को मिलाकर एक परीक्षा समिति होगी:
 - (क) सदस्यों के रूप में, तीन वर्ष की कालावधि हेतु, विभागों के चार प्रमुख।
 - (ख) उपरोक्त 1 (क) में उल्लिखित विभाग के प्रमुखों में से एक को कुलपति द्वारा दो वर्ष की कालावधि हेतु रोटेशन के आधार पर, समिति के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जायेगा।
 - (ग) दो वर्ष की कालावधि हेतु सदस्य के रूप में दो वरिष्ठ संकाय सदस्य।
 - (घ) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सदस्य सचिव के रूप में।
2. परीक्षा समिति की बैठकें, समुचित प्राधिकारी, जिसमें कुलपति और परीक्षा समिति के अध्यक्ष सम्मिलित हैं, की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।
3. अध्यक्ष सहित समिति के चार सदस्यों से बैठक का कोरम होगा।
4. समिति के सभी सदस्य, इसमें अपने कार्यकाल के अंत तक या कुलपति के प्रसाद पर्यंत तक सदस्य के रूप में बने रहेंगे।
5. परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कृत्य निम्नानुसार होंगी:—
 - एक. नियमित/एटीकेटी (अवधि तक रखने हेतु अनुज्ञात) अभ्यर्थी के रूप में विद्यार्थी, जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, की अंतिम रूप से संख्या का मिलान करेगी।
 - दो. सभी विभागों से प्रस्तावित परीक्षा समय—सारिणी को मिलान करने के पश्चात् परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षा समय—सारिणी को अंतिम रूप देगी।

तीन. उनके परीक्षा कार्य में उदभूत त्रुटि हेतु प्रश्नपत्र सेटर, उत्तर लेख की जांचकर्ता, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकर्ताओं और मिलान कर्ताओं को दिये गये मानदेय में अंतिम रूप से कटौती करना।

चार. स्वयं में संतुष्ट होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर अनुमोदित करना कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप हैं तथा किसी प्रकरण में, जहां परिणाम असंतुलित है, वहाँ, की गई कार्यवाही को कुलपति को अनुशंसित करना।

पांच. प्रश्नपत्रों के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

छ. अनुचित साधनों के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार समुचित कार्यवाही करना।

सात. परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार समुचित कार्यवाही करना।

आठ. परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उसके कार्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को उसे उच्च अंक दिये जाने के लिए किसी भी साधन से पहुंच या दबाव बनाने वाले परीक्षार्थी के मामलों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार ऐसे मामलों में समुचित कार्यवाही करना।

नौ. परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देना।

दस. प्रत्येक लिखित पेपर हेतु पेपर सेटर की नियुक्ति के लिए कुलपति को तीन नामों की अनुशंसा करना।

ग्यारह. यदि आवश्यक हो और कुलपति इसे प्रस्तावित करें तो उप-परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना।

बारह. यदि वह परीक्षक के रूप में निरंतर तीन वर्षों से कार्यरत रहा हो, तो परीक्षक के रूप में विषय विशेषज्ञ की पुनर्नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा।

तेरह. परीक्षक को अनियमित करने हेतु अनुशंसा करना, यदि अध्यादेश के अनुसार उसकी सेवायें असंतोषजनक पाया जाता है।

चौदह. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, विद्या परिषद द्वारा उसे सौंपे गये कोई अन्य कार्य।

पन्द्रह. परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता एवं गोपनियता को सुनिश्चित करने हेतु मार्ग एवं साधन विकसित करना।

(6) परीक्षा समिति, जो कियान्वित करने हेतु उत्तरदायी हो, अपनी अनुशंसा निर्णय के साथ कुलसचिव को बैठकों के प्रतिवेदन/कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करेगी।

परिनियम क्र. 20

अध्ययन मण्डल

- (1) प्रत्येक विभाग हेतु एक अध्ययन मण्डल होगा, जिसमें:
 - (क) विभाग का प्रमुख – अध्यक्ष
 - (ख) सम्बंधित विभाग के दो शिक्षक – सदस्य
 - (ग) विश्वविद्यालय के बाहर से अध्ययन मण्डल द्वारा सहयोजित सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक।

कुलपति, सम्बंधित विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष की अनुशंसा पर कुछ बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।
- (2) अध्ययन मण्डल कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (3) कुलपति, आवश्यकतानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गये विषयों के लिए अध्ययन मण्डल का गठन कर सकेगा।
- (4) अध्ययन मण्डल, विस्तृत पाठ्यचर्चा के साथ विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन एवं अनुदेश के साथ विषयों का परिदान करेगा एवं अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु विद्या परिषद को प्रस्तुत करेगा।
- (5) पाठ्यचर्चा की विषयवस्तु को अध्ययन मण्डल द्वारा समय–समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं विद्या परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (6) अध्ययन मण्डल की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार होगी। मण्डल के आधे (वन हाफ) सदस्यों से कोरम होगा।

परिनियम क्र. 21

विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान

1. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फीस संरचना का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक् रूप से गठित कोई अन्य निकाय की अनुशंसा का अनुपालन करेगा।
2. विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षण (ट्यूशन), प्रबंध मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय, अन्य फीस, जैसे कि प्रवेश फीस, छात्रावास फीस, मेस फीस, प्रचलन फीस, लाउन्ड्री, प्रिंटिंग आदि सेवा के लिए भी फीस समय समय पर विहित करेगा।
4. विश्वविद्यालय, प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व फीस के संबंध में तथा विहित फीस में परिवर्तन करने के पश्चात् भी निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन लेगा।

परिनियम क्र. 22

मानद डिग्रियों तथा शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करना

- (1) कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों को मानद डिग्रियों या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव, विद्या परिषद के अध्यक्ष को संकाय द्वारा प्रस्तावित प्राप्तकर्ता के बायोडाटा के साथ लिखित में दी जायेगी।
- (क) प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विद्या परिषद, विशेष बैठक आहूत करेगा।
- (ख) विद्या परिषद की ऐसी विशेष बैठक में, कुलपति, प्रस्ताव पर, अपनी राय उपदर्शित करने हेतु सदस्यों को आमंत्रित करेगा। यदि प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे अनुमोदन हेतु कुलाधिपति के समक्ष रखा जायेगा।
- (ग) मानद डिग्री या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव को पृथक से रखा जायेगा एवं प्रस्तावित प्राप्तकर्ता के संबंध में विचार किया जायेगा।

परिनियम क्र. 23

विश्वविद्यालय में फेलोशिप, स्कॉलरशिप, मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड करने हेतु धर्मदाय प्रशासन

- (1) प्रबंध मण्डल आवर्ती प्रकृति की फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छूट, स्टायफण्ड, मेडल और पुरस्कार अवार्ड करने हेतु धर्मदाय निधि के सृजन के लिए दान स्वीकार कर सकेगा।
- (2) प्रबंध मण्डल समस्त धर्मदायों का प्रशासक होगा।
- (3) धर्मदाय से उत्पन्न वार्षिक आय में से अवार्ड दी जायेगी। आय का कोई अन्य भाग, जो इस प्रकार उपयोजित न हो, धर्मदाय के लिए जोड़ा जायेगा।
- (4) (क) प्रबंध मण्डल राष्ट्रीयकृत बैंक में धर्मदाय जमा की शर्तें विहित करेगा।
 - (ख) अवार्ड संस्थापित करने हेतु आवश्यक धर्मदाय का मूल्य, प्रबंध मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।
- (5) अवार्ड में विवाद होने पर धर्मदाय को स्वीकार नहीं किया जायेगा और जहां तक संभव हो, दानदाता की शुभकामनाओं को प्रभाव दिया जायेगा।
- (6) प्रबंध मण्डल द्वारा किसी धर्मदाय को स्वीकार किये जाने की स्थिति में, मण्डल इस हेतु विनियम बनायेगा। ऐसा विवरण, जैसा कि दानदाता का नाम, धर्मदाय का नाम, आरंभिक मूल्य एवं धर्मदाय के प्रयोजन आदि, देगा।
- (7) विशिष्ट धर्मदाय से संबंधित विनिर्दिष्ट विनियमों/अध्यादेशों के अनुसार प्राप्तकर्ता को दिये जाने वाले फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छूट, मेडल और पुरस्कार का अनुमोदन, प्रबंध मण्डल द्वारा किया जायेगा।

परिनियम क्र. 24

विद्यार्थियों का प्रवेश

- (1) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश, संबंधित विषय के लिए बनाये गये अध्यादेश में विहित अनुसार प्रशासित होंगे।
- (2) विश्वविद्यालय, यदि आवश्यक हो, अपना प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकेगा अथवा विभिन्न राज्यों/राष्ट्रीय व्यवसायिक एवं संवैधानिक निकायों द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षा/टेस्ट के परिणामों की सूची को उपयोजित कर सकेगा।
- (3) विश्वविद्यालय, जब कभी भी प्रवेश परीक्षा आवश्यक न हो, मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दें सकेगा।
- (4) राज्य/केन्द्र के विभिन्न विनियामक निकायों के दिशानिर्देश का आवश्यकतानुसार अनुपालन किया जायेगा।
- (5) सीटों के आरक्षण के संबंधी प्रावधान, राज्य शासन के प्रचलित मानदण्डों एवं नियमों द्वारा शासित होंगे।
- (6) प्रवेश के संबंध में, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश, अंगीकृत/ विचारणीय होंगे।

परिनियम क्र. 25**विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में सीटों की संख्या**

- (1) संबंधित विनियामक निकाय के अनुमोदन के आधार पर समय—समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कुलाधिपति द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा, आवश्यकतानुसार, सीटों की संख्या विनिश्चित की जा सकेगी।

परिनियम क. 26

वार्षिक प्रतिवेदन

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुलसचिव द्वारा तैयार की जायेगी।
- (2) रिपोर्ट को शासी निकाय के अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।
- (3) वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को एवं सीजीपीयूआरसी को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा अपनी मुद्रा (सील) एवं हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

परिनियम क्र. 27

नियुक्ति की वैधता का अनुमान व विश्वविद्यालय प्राधिकरण व निकायों का संगठन

1. इन परिनियमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय में किसी पद पर की गई नियुक्ति और विश्वविद्यालय में किसी अधिकरण, निकाय, परिषद या समिति का गठन जो विश्वविद्यालय के परिनियम और विनियमों के अंतर्गत हो, को वैध और कानून के अनुसार माना जाएगा।
2. यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सही प्रकार से विश्वविद्यालय के किसी अधिकरण या निकाय का सदस्य चयनित या नियुक्त हुआ है या उसका सदस्य बनने का पात्र है ? तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

परिनियम क्र. 28

कानून या कार्यवाही का अनुमान और सामान्य कार्यवाही के विरुद्ध हानि से सुरक्षा

1. इन परिनियमों के अंतर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा किसी पद पर की गई कोई नियुक्ति या कोई विधि या शासी निकाय, प्रबंधन परिषद, शैक्षणिक परिषद या अन्य कोई अधिकरण, निकाय, समिति या परिषद की नियमावली या कोई कार्य या प्रक्रिया केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि कोई रिक्त उपलब्ध है या संविधान में ही कोई त्रुटि है।
2. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अधिकरण, निकाय, समिति, परिषद या कार्मिक द्वारा किए गए से कार्य या की गई चूक जो उसने परिनियमों या अन्य अध्यादेश या उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों और कार्यों के अनुसार सद्भावना से किया हो, को ऐसे कार्य या चूक के लिए दोषी नहीं माना जावेगा तथा उचित संरक्षण उपलब्ध होगा।